1362

गया नगर निगम, गया

पत्रांक 1208/210

प्रेषक,

नगर आयुक्त
गया नगर निगम, गया।

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

गया, दिनांक 08 वीं अगस्त, 2014

विषयः अंकेक्षण संख्या 513/2010–11 अंकेक्षण वर्ष 2009–10 के आपत्तियों के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक महालेखाकार कार्यालय का पत्रांक एल0ए0 –2738 दिनांक 15कृ 9.10 के द्वारा गया नगर निगम का वर्ष 2009–10 के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 513/2010–11 के आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रतिवेदन तैयार कर इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि प्रतिवेदन के आलोक में अंकेक्षण संख्या 513/2010–11 के आपत्तियों के कंडिकाओं को निरस्त करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन

नगर आयुक्त
गया नगर निगम, गया

1361

गया नगर निगम, गया

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 513/2010-11 का अंकेक्षण आपतियों का निराकरण :-

अंकेक्षण वर्ष 2009-10

क्र0	अंकेक्षण आपति संख्या	आपत्ति का विवरण	कार्यालय का निराकरण संबंधित प्रतिवेदन	अभियुक्ति
01	01	प्रस्तावना	No Comment	
02	02	प्रशासन	No Comment	
03	03	लेखा परीक्षा का परिसीमा	Noted	
04	04	आन्तरिक लेखा परीक्षा	सशक्त स्थायी समिति एवं नगर आयुक्त के द्वारा समय-समय पर लेखा की जांच की जाती है।	
05	05	पूर्ववती लेखा [illegible] प्रतिवेदन	Noted	
06	06	अधिदृश्य	Noted	
07	07	महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धियां	Noted	
08	08	बजट	Noted	
09	09	अनुदान	Noted	
10	10	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि 10 - 1 10 - 2	**10- i.** Noted **10. ii.** सूद की राशि का रोकड़ पंजी मे दर्ज कर दी गई है जिसे अंकेक्षण दल को दिखाया गया है। **10. iii.** रोकड़ बही में बैक के द्वारा काटी गई 125.00 रूपये का लेखा रोकड़ बही में कर ली गई है जिसे अंकेक्षण दल को दिखाया गया है। **10. iv.** इस संबंध में कहना है कि अंकेक्षण दल के द्वारा बी0आर0जी0एफ0 की राशि दो बैंक में रहने के कारण अंकेक्षण करने में परेशानी होती थी। इसी को	

			ध्यान में रखकर राशि को एक ही बैंक में रखने हेतु हस्तांतरित किया गया था। **10. v.** रोकड़ बही बैंक खातों के अवशेषों के साथ समाधान विवरण तैयार कर अंकेक्षण दल को दिखाया गया। **10. vi.** वित्तिय वर्ष 2009-10 में प्राप्त बी0आर0जी0एफ0 की राशि से सभी योजनाओं को पूर्ण करा दिया गया है।	
11	11	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	Star way International Foundation , Patna के द्वारा 500 लाभार्थियों एवं विश्व मानव चेतना संघ, गया के द्वारा 472 लाभार्थियों का एकरारनामा के अनुसार प्रशिक्षण समय अवधि के अन्दर दिया गया है एवं इनके द्वारा लाभार्थियों की उपस्थिति पंजी, प्रशिक्षकों की उपस्थिति पंजी, लाभार्थियों के बीच बांटे गये वजिफा का छायाप्रति अंकेक्षण दल को दिखाया गया है।	
12	12	निरस्त	No Comment	
13	13	पी0एल0 खाते की रोकड़ बही की त्रुटियाँ	**13. i.** राशि जमा करा कर अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया। **13. ii-** रोकड़ बही के प्राप्ती भाग में दर्ज कर अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया। **13. iii.** रोकड़ बही एवं कोषागार पासबुक में जमा अन्तर राशि 23,239.62 रूपया रोकड़ बही में प्रविष्टि कर दिया गया है एवं अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया है। **13. iv.** रोकड़ बही के प्राप्ति भाग में चेक सं0	

			0110981 दिनांक 27.03.09 के द्वारा प्राप्त राशि 7160.00 रूपया को रोकड़ बही में घटा दिया गया है एवं अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया। 13. **v.** 11,68, 937.00 एवं 4,58,97,188.00 तथा 3,06,600.00 कोषागार द्वारा पासबुक में लेखा नही रहने के कारण अंकेक्षण दल के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी जिसका कोषागार से निराकरण कराकर अंकेक्षण दल को दिखाया गया। 13. **vi.** चेक संख्या 0209900 दिनांक 20.06.09 राशि 29,250.00, चेक संख्या 356720 दिनांक 24.02.10 राशि 34,446.00, चेक सं0 356720 दिनांक 24.02.10 राशि 5588.00 एवं चेक सं0 356719 दिनांक 24.02.10 राशि 7981.00 रूपया इस प्रकार कुल 77,265.00 रूपये का रोकड़ बही में लेखा कर अंकेक्षण के दौरान दिखाया गया। 13. **vii.** चेक सं0 303232 दिनांक 04.08.09 राशि 22,266.00 रोकड़ बही से व्यय भाग से घटाकर अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण दल को दिखाया गया। 13. **viii.** वर्णित चेक की राशि 2,43,103.00 एवं 75,160.00 रूपये की निकासी अगले वित्तीय वर्ष में चेक को पूर्नजीवित कर निकासी की गई। जिसका मिलान ट्रेजरी पासबुक से कर लिया गया है। 13. **ix.** बैंक ऑफ इन्डिया में जमा राशि को पी0एल0 एकाण्उट में हस्तांतरण कर दिया गया है। 13. **x. Noted**	

			13. **xi. Noted**	
14	14	बैक खाताओं का संधारण	14. क- भारतीय स्टेट बैक, गया के चालु खात सं0 51892 एवं 51972 एवं बैक ऑफ इण्डिया, गया के खाता सं0 6996 के बारे में पत्राचार किया गया परन्तु उनके द्वारा वर्णित खाता संख्या के बारे में अभी तक कोई जानकारी नही दी गई है। इसके लिये सार्थक प्रयास किया जा रहा है। 14. ख- रोकड़ बही के प्राप्ती भाग में 146.00 रूपया दर्ज कर ली गई है एवं बैक के द्वारा कटौति की गई राशि को रोकड़ बही के खर्च भाग में दर्ज कर लिया गया।	
15	15	रोकड़पाल के पास शेष अवितरित नकदी	वर्णित राशि रसीद संख्या 15282 दिनांक 30.04.10 कोषागार चलान सं0 267 दिनांक 04.05.10 के द्वारा निगम कोष में जमा कर अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया।	
16	16	मांग एवं वसूली	वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जा रहे है एवं राशि भी प्राप्त हो रहा है।	
17	17	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उषकर की राशि सरकारी कोष में जमा नही।	इस संबंध में कहना है कि गया नगर निगम के स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित कार्यो का निपटारा गया नगर निगम के द्वारा किया जाता है। परन्तु सरकार के द्वारा इस मद मे कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। गया नगर निगम की वित्तीय स्थति सृदृढ़ नहीं रहने के कारण सरकारी कोष में वर्णित राशि जमा नही हो पाया है। निगम की आर्थिक स्थिति सृदृढ़ होने पर राशि हस्ताणतंरण कर दी जायगी।	

18	18	टिन टिकट	श्री ललन राम के द्वारा एम0आर0 सं0 20123 दिनांक 19.11.2011 के द्वारा 1000.00 रू0 की राशि जमा किया है। क. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा के द्वारा एम0आर0 सं0 36263 दिनांक 25.07.12 के द्वारा 750.00 रू0 की राशि जमा की गई है। ख. श्री रामेश्वर सिंह के द्वारा एम0आर0 सं0 38001 दि0 27.08.12 के द्वारा 750.00 रू0 की राशि जमा कर दिया गया। ग. श्री यजुराम के माह मई 2014 के वेतन से 250.00 रू0 की कटौति कर ली गई है।	
19	19	पेशाकर की कम वसूली	पेशाकर की कम वसूली के संदर्भ मे कहना है कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक दि0 29.03.08 के द्वारा निम्न रूप से वसूली हेतु स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय ज्ञापांक 596 दिनांक 29.04.08 के द्वारा निर्धारित किया गया है :- क. प्रधान मुख्य सड़क पर पक्की दुकान से 250.00 रूपये ख. गुमटी एवं छोटी दुकान से 100.00 रूपये ग. अन्य सड़क स्थित दुकानों से 150.00 रूपये घ. राजपत्रित से उपर सभी पदाधिकारियों से 250.00 रूपये ड़ द्वितीय श्रेणी के कर्मी से 200.00 रूपये च. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से 150.00 रूपये अंकेक्षण दल के द्वारा सभी को मुख्य मार्ग मानकर कम	

			वसूली का ब्यौरा तैयार किया गया है जो गलत है पेशाकार कर्मी द्वारा निर्धारित दर पर वसूली की गई है। अत: वसूलने योग्य नहीं है।	
20	20	आपत्तिजनक एवं खतरनाक अवयव में कम वसूली	सशक्त स्थायी समिति की बैठक दि0 29.03.08 को भयावह अनुज्ञा शुल्क के रूप में निम्न प्रकार से स्वीकृति दी गई। सशक्त स्थायी समिति द्वारा जिस निर्धारित दर का आदेश कार्यालय ज्ञापांक 596 दिनांक 29.04.08 के द्वारा निम्न दर पर वसूली हेतु आदेश दिया गया है जो इस प्रकार है :- क. प्रत्येक पावरलुम-50 रू0 ख. कबाड़खान के बड़े दुकानों से 1000 रू0 ग. कबाड़खान के छोटे दुकानों से 500 रू0 घ. अतिशबाजी बेचने वाले थोक विक्रेता से 2000 रू0 ड़ अतिशबाजी बेचने वाले खुदरा विक्रेता से 1000 रू0 च. माचीस के थोक विक्रेता से 2000 रू0 छ. इसके अतिरिक्त अन्य सामाग्रियों पर जो पूर्व से दर निर्धारित है वह रहेगा। अंकेक्षण के द्वारा सभी को 1000.00 रू0 एवं 500.00 रू0 को मानकर वसूली का विवरणी प्रस्तुत किया गया है। आपत्ति जनक एवं खतरनाक व्यवसाय में लगे कर्मी के द्वारा निगम द्वारा निर्धारित दर पर वसूली की गई है। अत: राशि वसूलनीय योग नही है।	
21	21	दुकान किराया	वसूली की कार्रवाई हेतु ठोस कदम उठाये जा रहे है एवं वसूली हुई है।	

22	22	पुजा रेस्ट हाउस से कम दर पर किराये की वसुली की मांग	संशोधित दर पर किराया वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया गया है एवं राशि भी संशोधित दर पर जमा भी किया जा रहा है।	
23	23	कम दर पर जवाहर टाउन हॉल की आवंटन से राजस्व की हानि	जवाहर टाउन हॉल का आरक्षण शुल्क 4000.00 रूपया रहने के कारण जवाहर टाउन का आरक्षण नही हो पा रहा था जिससे निगम को राजस्व हानि हो रही थी। इसी को ध्यान मे रखते हुये निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 17.03.2008 एजेण्डा सं0 02 के द्वारा 2000.00 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से सम्राट जादुगर प्रोपराइटर धर्मेन्द्र कुमार एवं अन्य को आरक्षित किया गया है इसलिये कम राजस्व राशि वसूली का प्रश्न ही नही है। बोर्ड द्वारा पारित आदेश को अंकेक्षण दल को दिखाया गया था।	
24	24	कम दर पर आजाद पार्क के आरक्षण से राजस्व हानि	नगर निगम बोर्ड दि0 23.02.10 के द्वारा व्यवसायी परियोजन हेतु 1500.00 एवं राजनैतिक, धार्मिक महापुरूषों का जन्म उत्सव का आरक्षण शुल्क 1000.00 रू0 निर्धारित किया गया है। रसीद संख्या 3612 दिनांक 27. 08.10 के द्वारा धार्मिक कार्य हेतु आरक्षण किया गया है। अतः निर्धारित दर से कम वसूली का प्रश्न ही नही है। बोर्ड द्वारा निर्धारित स्वीकृति को अंकेक्षण दल को दिखाया गया था।	
25	25	मोबाइल टावर	नगर निगम बोर्ड के द्वारा मोबाइल टावर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया गया है। मोबाइल टावर कम्पनी के द्वारा पटना उच्च न्यायलय में	

			मामला रहने के कारण वसूली नही हो पायी थी। वसूली हेतु प्रयास किया जा रहा है।	
26	26	सैरातों की बन्दोबस्ती	नगर निगम के द्वारा निगम की परिसम्पति का पंजी तैयार कर दिया गया हैं। **26. i.** - बकरी छाड़ तथा पीरमंसुर पार्किग स्टैण्ड हेतु स्थानीय स्तर से बंदोबस्ती हेतु प्रयास किया गया था। जगह उपलब्ध नही रहने का कारण बंदोबस्ती नही हो पायी। इस सैरात को हटाने हेतू बोर्ड में भी रखा गया है। **26. ii.** - ठेला पास एवं डंडीबाग तार, महुआ, आम इत्यादि का चुनाव आर्दश संहिता रहने कारण 1 अप्रैल से 30 जुन तक बंदोबस्ती की गई थी शेष अवधि विभागीय तौर पर वसूली की गई थी। जो क्रमश: वसूली राशि 44,400.00 एवं 2000.00 रूपये की हुई है। **26. iii.** - केदारनाथ मार्केट ग्राउण्ड रेंट की वसूली विभागीय स्तर से श्री शत्रुधन सिंह, कर संग्रहकर्ता द्वारा विभागीय रूप से की गई थी। विधान पार्षद का चुनाव रहने के कारण चार दिन वसूली का कार्य बाधित रहा, क्योकि केदारनाथ मार्केट स्थित जवाहर टाउन हॉल में मतगणना का कार्य हो रहा था। मतगणना के कारण मार्केट के दोनो गेट को प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया था जिसके चलते 57,648.00 रू0 कम वसूली हुई। कर संग्रहकर्ता का दोष नहीं प्रति होता हैं। **26. iv.** - निगम क्षेत्र होल्डिंग लगाने के लिये शौर्य	

			इप्राक्ट्रचर लिमीटेड के द्वारा राशि जमा कर दिया गया है जिसे अंकेक्षण दल को दिखाया गया है।	
27	27	सैरातों की बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नही कराये जाने से राजस्व का हानि	मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 1920 दिनांक 14.08.02 तथा सचिव सह आई0जी0 पंजीकरण बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 का पत्र नगर निगम में उपलब्ध नही रहने के कारण 100.00 रूपया स्टाम्प पेपर पर ही एकरारनामा पर ही बंदोबस्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था। जिसकी स्वीकृति निगम बोर्ड द्वारा दिया गया था। अंकेक्षण के दौरान वर्णित पत्र के बारे में जानकारी दि गई थी अगले वित्तीय वर्ष से 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के साथ बंदोबस्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जायगा।	
28	28	निलाम वाद	लम्बित वादों की निष्पादन की कोशिश की जा रही है।	
29	29	एकादश वित्त आयोग	**29. i.** उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को समर्पित किया जा चुका है। **29. ii.** प्राप्त अग्रिमों का समायोजन की कार्रवाई की जा रही है साथ ही निगम बोर्ड की बैठक में चयनित योजनाओं पर ही राशि खर्च की गई है। चयनित योजनाओं की शेष बची राशि निगम के स्वनिधि से पुरा कर लिया जायेगा। सभी योजनएँ जनहित में है।	
30	30	द्वादश वित्त आयोग	**30. i.** द्वादश वित्त आयोग की राशि से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, ई गर्वनेन्स आदि पर खर्च करने के निर्देश के आलोक में क्रमांक संख्या 01 से 06 तक खर्च किया गया। अत: विचलन का प्रश्न ही नही है।	

			30. ii. क्रम सं0 01 से 10 तक के संबंध मे कहना है कि क्रमांक 05 एवं 09 में विपत्र के विरूद्ध राशि का भुगतान किया गया है। अतः यह अग्रिम राशि नही है। क्रमांक 1,2,3,4,6,7, 8,10 का समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। **30. iii.** विभागीय अभिकर्ता के द्वारा राशि की वसूली कर ली गई है। **30. iv.** सभी 16 योजनाओं का कार्य पुरा कराकर समायोजन करा लिया गया है। कुछ योजनाओं का समायोजनओं की कार्रवाई की जा रही है।	
31	31	राष्ट्रीय गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम	**31. i.** निगम बोर्ड की बैठक में योजनाओं के चयन हेतु रखा जायेगा। **31. ii.** अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करा लिया गया है। समायोजन की कार्रवाई की जा रही है।	
32	32	पावरगंज भुईटोली होते हुये रेलवे लाईन तक कभर सहित नाली के निर्माण में अधिक भुगतान	प्राक्कलन बनाने के समय में वार्ड पार्षद की अनुशंसा एवं स्थल निरीक्षण के अनुरूप प्राक्कलन तैयार किया गया था परन्तु कार्य प्रारम्भ होने के बाद स्थानीय नागरिकों द्वारा नाले को स्वीकृति स्थान से 100 फीट की कमी हुई और जिसका विस्तार करना पड़ा जिसकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता के द्वारा दी गई। तदोपरान्त मापी पुस्तिका में दर्ज की गई। कार्य जनहित में किया गया न कि संवेदक को लाभ पहुचाने हेतु।	
33	33	योजना संख्या 04/2009-10 में अधिक भुगतान	22,986.00 अधिक भुगतान के संबंध में अंकेक्षण दल के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। इस संबंध मे कहना है कि उक्त योजना का कार्यन्वयन संवदेक द्वारा प्राक्कलन	

1351

			में प्रवधानों के अनुरूप किया गया जिसमे नदी में ओभरहेड से नंगा तार द्वारा विघुत कनेक्शन किया गया था परन्तु नदी में जलस्तर तथा अत्याधिक गति से आंधी आने के कारण पोल एवं तार क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे जलापूर्ति बाधित हो गया था। जलापूर्ति को पुनः चालु करने के लिये एल्मुनियम कभर केबल क्रय करने हेतु स्वीकृति प्राप्त की गई थी जिसके द्वारा केबल क्रय किया गया और पम्प चालु कराया गया। इसमें अत्यधिक भुगतान नहीं किया गया है। जनहित में पम्प को अतिअल्पधि में पम्प को चालु किया गया तत्कालिन नगर आयुक्त के आदेश के आलोक में योजना के समयावधि के अंतर्गत पुर्ण कर निगम को सौप दिया गया।	
34	34	योजना सं0 65/2008-09 में अधिक भुगतान	योजना सं0 65/2008-09 वर्णित योजना में कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त वार्ड पार्षद के द्वारा आवेदन दिया गया जो उपमहापौर द्वारा अनुशासित है जिसमे पत्र के पुरे चौड़ाई में पी0सी0सी0 नही होने के कारण वाहनों के आगमन-प्रस्तान में कठिनाई के कारण बताते हुये फलैक में मिटटी भराई के कार्य को आवश्यक बताया गया जिसके संज्ञान में लेते हुये कार्यपालक अभियंता द्वारा मिटटी भराई का प्राक्कलन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। उपस्थापित प्राक्कलन की जांचोपरान्त कुल राशि 15,129.00 रूपये की तकनीकि स्वीकृति प्रदान की गई जिस पर सक्षम स्तर (निगम आयुक्त) की स्वीकृति	

			प्राप्त है। उक्त बढोतरी की राशि 10 प्रतिशत बचत राशि मो0 28,940.00 रूपये कम है। जिस पर कार्यपालक अभियंता की स्वीकृति प्राप्त हैं। इस प्रकार पुनरक्षित किये गये प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि (289400.00 +15129.00) मो0 कुल राशि 3,04,529.00 रूपयें पर 10 प्रतिशत घटाकर भुगतान की कार्रवाई की गई। इस प्रकार कोई अत्याधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है।	
35	35	योजना सं0 15/2009-10	वर्णित योजना का प्राक्कलन पथ निर्माण हेतु किया गया था जिसका प्रा0 राशि 3,67,500.00 रू0 थी। ज्ञात हो कि निगम बोर्ड द्वारा प्रत्येक वार्ड में एक निश्चित राशि निर्धारित की जाती है। जिसके अंतर्गत प्राक्कलन तैयार किया जाता है। उक्त योजना में भी राशि सिमित रहने के कारण सिर्फ पथ का प्राक्कलन तैयार किया गया जिसपर निविदा की गई पथ निर्माण के उपरान्त पुर्व की नाली का स्तर नीचे हो जाने के कारण बहाव बाधित हो गया तथा पथ की चौड़ाई कम हो गयी है। इस आलोक में नाला को रेंज करने तथा ढक्कन लगाने का प्राक्कलन तैयार कर इस पर तकनीकि स्वीकृति प्राप्त की गई। इस आशय हेतु वार्ड पार्षद का अनुशंसा पत्र जिस पर कार्यपालक अभियंता एवं नगर आयुक्त का अनुशंसा प्राप्त है के आलोक में प्राक्कलन तैयार किया गया है। तदोपरान्त ही नाला निर्माण कार्य करवाया गया है जहां तक पथ निर्माण मद में 2654.00 रूपये अतिरिक्त	

			भुगतान का आपत्ति अंकेक्षण द्वारा उठाया गया जिसके संबंध में स्पष्ट करना है कि नवनिर्मित पथ को मुख्य पथ से रैम्प बनाकर जोड़ना आवश्यक समझते हुये कार्यपालक अभिंयता द्वारा स्थल पर ही मौखिक निदेश दिया गया तदोपरान्त 2654.00 का अतिरिक्त कार्य करवाया गया जो प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत से भी कम हैं। मापी पुस्त पर दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करने के उपरान्त ही भुगतान किया। अतः इसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया गया है।	
36	36	योजना संख्या 49/2009-10 में भुगतान की गई राशि का विपत्र संलग्न नही	वर्णित योजना की संचिका में प्रथम विपत्र के संबंध में सक्षम स्तर तथा सहायक अभियंता, का0 अभि0, लेखा पदा0, नगर आयुक्त द्वारा अपनी टिप्पणी दर्ज की गई है जिसके आलोक में भुगतान किया गया है। विपत्र का प्रथम पृष्ट ही अंकेक्षण दल द्वारा अवलोकन किया गया जबकि द्वितीय पृष्ट पर पुर्ण विपत्र की राशि दर्शायी गयी है। संचिका एवं गार्ड फाइल में विपत्र संलग्न था। जिसकी भी जांच अंकेक्षण दल द्वारा किया गया है।	
37	37	नाला की सफाई एवं सिल्ट उठाव	निगम के द्वारा कराये गये नाला सफाई का मास्टर रौल एवं लोकबुक अंकेक्षण दल को दिखाया गया है जिसका जांच भी अंकेक्षण दल के द्वारा किया गया है। अतः इसे अंकेक्षण आपत्ति से निरस्त करना चाहिये।	
38	38	योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब शुल्क की कटौति नहीं	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये विवरण प्रशिष्ट XX के आलोक में कार्यालय द्वारा जांचोपरान्त सवंदेक के सुरक्षित	

			राशि से कटौति की जा रही है।	
39	39	खनन कर की कम/नही कटौति	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये प्रशिष्ट xxi के आलोक में कार्यालय द्वारा जांचोपरान्त संवेदकों के सुरक्षित जमा राशि से काटौति की जा रही है।	
40	40	स्वर्ण जयंति शहरी रोजगार योजना की 2005-06 की 08 तथा 2006-07 की 10 योजनाये अपूर्ण	वर्णित कंडिका के आलोक में स्पष्ट करना है कि ली गई सभी योजना पुर्ण है। आज भी इन योजनाओं का लाभ नागरिकों का प्राप्त हो रहा है के लिये अग्रिम का समायोजन किया जा रहा है। जिसे अगले अंकेक्षण दल के दौरान दिखा दिया गया जायेगा।	
41	41	2008-09 एवं 2009-10 की अपूर्ण योजनाएँ	वित्तीय वर्ष 2008-09 की 08 योजनाएँ एवं 09-10 की 22 योजनाओं को पूर्ण करा दिया गया है। संवेदक के विपत्र से विलम्ब शुल्क की कटौति भी की गई है।	
42	42	निरस्त	No Comment	
43	43	योजना संचिकाओं की प्रस्तुति	**43. i.** सभी योजनाओं की संचिका अंकेक्षक दल के पास प्रस्तुत किया गया था परन्तु समयाभाव के कारण अंकेक्षण दल के द्वारा प्रशिष्ट XXV प्रस्तुत विवरणी को नही देखा गया है, अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा। **43. ii.** योजनाओं की योजना पंजी मे अद्यतन कर दिया गया है अगले अंकेक्षण में इसे दिखा दिया जायेगा।	
44	44	सेवा पुस्तो का संधारण सेवा संहिता के अनुसार नही	**44. i.** सेवा पुस्तिका का अद्यतन कर दिया गया है। **44. ii.** सम्पुष्टि की कार्रवाई की जा रही है। **44. iii.** छुटी लेखा का प्रविष्टि कर दी गई है। **44. iv.** वेतन वृद्धि की प्रविष्टि कर दी गई है।	
45	45	हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा	जांचोपरान्त संबंधित कर्मी के बकाया वेतन से वसूली	

		पास किये बिना वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के फलस्वरूप अधिक भुगतान।	कर ली जायेगी।	
46	46	भण्डार का भौतिक सत्यापन नही	कार्यपालक अभियंता सह स्वास्थ्य पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर भण्डार का भौतिक सत्यापन किया गया है।	
47	47	भण्डार में अनुपयोगी एवं बेकार पड़े सामग्रियों की निलामी न होने से राजस्व हानि	भंडार में अनुपयोगी एवं बेकार पड़े सामग्रियो का विवरणी तैयार कर निलामी हेतु निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रख कर निलामी की प्रक्रिया हेतु सार्थक प्रयास किया जायेगा।	
48	48	निगम के वाहनों का निबंधन एवं बीमा नही किया जाना	निगम के वाहनों का निबंधन हेतु जिला परिवहन को पत्र लिखा गया है। निबंधन के उपरान्त सभी गाड़िया का बीमा करा लिया जायेगा।	
49	49	निगम के सफाई वाहन से बैट्री की चोरी	निगम के रात्री प्रहरी अरूण से उनके वेतन से पांच किस्तो में 14,400.00 रूपये कटौती कर ली गई है।	
50	50	स्मूह बीमा की राशि की कटौति वेतन से नही	निगम के सभी कर्मियों के वेतन से ग्रुप बीमा की राशि की कटौति कर ली गई है।	
51	51	भविष्य निधि	निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नही रहने के कारण निगम कर्मी का कई महीने का वेतन बकाया है। निगम स्त्रोत की आय से बकाया वेतन का ही भुगतान नही हो पा रहा है। राशि के अभाव में इनके भविष्य निधि खाते में राशि जमा नही हो सका परन्तु इनकी भविष्य निधि कटौति का लेखा पंजी में दर्ज है। अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त बैंक द्वारा निर्धारित सूद की राशि के साथ भुगतान किया जा रहा है। राशि उपलब्ध होते ही	

			भविष्य निधि खाता में राशि जमा कर दि जायगी।	
52	52	दैनिक मजदुरो का भुगतान	नगर निगम में वर्ष 1970 में सफाई मजदूरों का स्वीकृत बल 786 है जिसमें लगभग वर्तमान में 250 सफाई मजदूर ही कार्यरत है जबकि जनसंख्या 5 गुणा हो चुका है तथा भवनों की संख्या भी दस गुणी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों से शहर का दैनिक सफाई कराया जाना संभव नही है। शहर का दैनिक सफाई, पितृपक्ष मेला एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर विशेष सफाई कार्य के लिये दैनिक मजदूरों को रखकर सफाई कार्य कराया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो पूरे शहर मे जल जमाव रोड में गंदगी का अम्बार हो जायेगा। अत: जनहित में नागरिकों को सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये दैनिक मजदूरों को जिन्हे रखा गया है जो अतिआवश्यक है। सरकार द्वारा नई नियुक्ति पर रोक लगाये जाने के कारण निगम बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त ही दैनिक मजदूर को रखा गया है। अत: उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये अंकेक्षण आपत्ति को निरस्त करने की कृप की जाय।	
53	53	अग्रिम	अग्रिम पंजी संधारित करा दिया गया है। जिन अग्रिमों का समायोजन अंकेक्षण अवधि तक नही हो पाया है उसमें से कुछ का समायोजन हो गया है और कुछ कर्मियों के सेवान्त लाभ से कटौती की गई है शेष की समायोजन की कार्रवाई हेतु Notice निर्गत किया गया है।	

54	54	नगर आयुक्त से वार्तालाप	Noted	
55	55	लेखा परीक्षा का परिणाम	Noted	
56	56	सामान्य अभियुक्ति	Noted	क्रमांक सं0 01 से 56 तक अंकेक्षण आपत्ति को निरस्त करने की कृपा की जाय।

8.8.14

लेखा पदाधिकारी,
गया नगर निगम, गया।

8/8/14

नगर आयुक्त,
गया नगर निगम, गया।